"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 200] रायपुर, बुधवार, दिनांक 11 मई 2016 — वैशाख 21, शक 1938

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 मई 2016

क्रमांक 4650/डी. 156/21-अ/प्रारू./छ. ग./16. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 02-05-2016 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. होता, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 24 सन् 2016)

छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2016

छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्र. 25 सन् 1991) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1\. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2016 कहलाएगा.

(2) यह 15 फरवरी, 2016 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा.

प्रथम अनुसूची का संशोधन.

2\. (1) छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्र. 25 सन् 1991), (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है), की प्रथम अनुसूची के सरल क्रमांक आठ के कॉलम (2) में, अंक एवं शब्द "रुपये 30.00 प्रति सीट" के स्थान पर, अंक एवं शब्द "रुपये 60.00 प्रति सीट" प्रतिस्थापित किया जाये.

(2) मूल अधिनियम की प्रथम अनुसूची के सरल क्रमांक आठ क के शीर्षक में, विराम चिन्ह एवं शब्द ",क्रेन" का लोप किया जाये.

द्वितीय अनुसूची का संशोधन.

3\. मूल अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के भाग-एक के सरल क्रमांक 7 के पश्चात्, तत्स्थानी कॉलम में निम्नलिखित प्रविष्टियां जोड़ी जाये, अर्थात् :-

"8	क्रेन एवं यांत्रिक खुदाई वाहन, (आगे की ओर बेलचा और पीछे की ओर खोदने वाला हस्त सहित अथवा अन्यथा संस्थापित काम करने वाली मशीन), जो सामान्य रूप से जेसीबी अथवा अन्य निर्माताओं द्वारा निर्मित खोदक मशीन के रूप में जानी जाती हो.	यान की कीमत का 7%"

निरसन.

4\. छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 2016 (क्र. 1 सन् 2016) को एतद्द्वारा निरसित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 11 मई 2016

क्रमांक 4650/डी. 156/21-अ/प्रारू./छ. ग./16. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 11-05-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. होता, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT

(No. 24 of 2016)

THE CHHATTISGARH MOTORYAN KARADHAN (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2016

An Act further to amend the Chhattisgarh Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991 (No. 25 of 1991).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-seventh Year of the Republic of India, as follows :-

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Motoryan Karadhan (Sanshodhan) Adhiniyam, 2016.

(2) It shall deemed to have come into force on the 15th day of February, 2016.

Amendment of First Schedule.

2. (1) In column (2) of serial number VIII of First Schedule of the Chhattisgarh Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991 (No. 25 of 1991), (hereinafter referred to as the Principal Act), for the figure and words "30.00 per seat", the figure and words "60.00 per seat" shall be substituted.

(2) In the heading of serial number VIIIA of First Schedule of the Pricipal Act, the punctuation and word ", Cranes" shall be omitted.

Amendment of Second Schedule.

3. After serial number 7 of Part-I of Second Schedule of the Principal Act, the following entries in corresponding columns shall be added, namely :-

"8.	Crane and Mechanical excavator vehicle (with a shovel at the front and a digging arm at the rear or otherwise installed working machinery) popularly known as JCB or excavator made by other Manufacturers.	7% of the cost of vehicle"

Repeal.

4. The Chhattisgarh Motoryan Karadhan (Sanshodhan) Ordinance, 2016 (No. 1 of 2016) is hereby repealed.